

## कार्यकारी सार

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने और वित्तीय आँकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित आगतों को राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने का प्रयोजन रखता है। इस विश्लेषण को उचित परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004, चौदहवें एवं पंद्रहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदनों तथा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में परिकल्पित लक्ष्यों के मध्य एक वृहद तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास किया गया है। इस प्रतिवेदन को पाँच अध्यायों में विभाजित किया गया है:

अध्याय I प्रदेश के वित्त का एक नजर में विहंगावलोकन है।

अध्याय II वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी, पेंशन, पूंजीगत व्यय और ऋण प्रबंधन पर व्यय के रुझानों की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय III विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं इसमें अनुदानवार विनियोगों तथा सेवादायी विभागों द्वारा जिस प्रकार आवंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया है, उसका विवरण प्रस्तुत करता है।

अध्याय IV उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन की वस्तु सूची है।

अध्याय V में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, पीएसयू द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति, गैर-कार्यात्मक पीएसयू और पीएसयू के निवल मूल्य के क्षरण पर चर्चा की गई है।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### राज्य की राजकोषीय स्थिति

वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में वर्ष 2020-21 के (-)3.04 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के सापेक्ष 13.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आर्थिक स्थिति में सुधार से राज्य के स्व-कर राजस्व में वृद्धि हुई और केंद्रीय करों शुल्कों में हिस्सेदारी बढ़ी जिससे राज्य के राजकोषीय मापदंडों पर सहवर्ती प्रभाव पड़ा। पिछले वर्ष के ₹ 2,367.13 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 33,430.06 करोड़ था। वर्ष 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटा भी पिछले वर्ष के ₹ 54,622.11 करोड़ रुपये से घटकर ₹ 39,286.42 करोड़ रुपये रह गया।

वर्ष 2021-22 में राज्य का राजकोषीय घाटा, पिछले वर्ष की जीएसडीपी के 3.31 प्रतिशत की तुलना में 2.11 प्रतिशत पर निहित रहा। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (32.14 प्रतिशत) भी पिछले वर्ष (33.91 प्रतिशत) से कम था।

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति राज्य सरकार का राजस्व है। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 8,299.42 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों के रूप में प्राप्त करने के अतिरिक्त, राज्य सरकार को भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त अवशेष के कारण जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले ₹ 8,139.94 करोड़ की ऋण प्राप्तियाँ (बैंक-टू-बैंक ऋण) भी प्राप्त हुई। इस ऋण का ऋणशोधन जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से किया जाएगा एवं इस प्रकार, अदायगी के दायित्व को राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा। इस व्यवस्था के कारण वर्ष

2021-22 के दौरान ₹ 33,430.06 करोड़ के राजस्व अधिशेष एवं ₹ 39,286.42 करोड़ के राजकोषीय घाटे को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले ₹ 8,139.94 करोड़ की ऋण प्राप्तियों के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिये।

(प्रस्तर 1.1.1, 1.4.1 और 1.5)

### निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 3,71,011 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर राजस्व (₹ 1,47,368 करोड़), करेतर राजस्व (₹ 11,436 करोड़), केन्द्रीय करों और शुल्कों का अंश (₹ 1,60,358 करोड़) और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (₹ 51,849 करोड़) सम्मिलित है। स्वयं के कर राजस्व में 20.92 प्रतिशत, करेतर राजस्व में 55.01 प्रतिशत, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 40.52 प्रतिशत की कमी के कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2021-22 के बजट अनुमान से 11.31 प्रतिशत कम रही, यद्यपि केन्द्रीय करों का अंतरण 34.31 प्रतिशत अधिक था।

विगत वर्ष 2020-21 की तुलना में राज्य ने 2021-22 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 22.91 प्रतिशत की समग्र वृद्धि थी, जिसका मुख्य कारण राज्य वस्तु और सेवा कर, राज्य आबकारी, बिक्री पर कर, व्यापार आदि, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, वाहनों पर कर की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण था। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व उछाल 1.76 था, जो राज्य की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत था। जिसके कारण वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसडीपी की ऋणात्मक विकास दर के साथ-साथ स्वयं के कर राजस्व में भी कमी आई थी।

वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत सरकार से अंतरण (करों में अंश तथा सहायता अनुदान) 29.05 प्रतिशत अधिक (₹ 47,774 करोड़) था और यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 57.20 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 की तुलना में केन्द्रीय करों और शुल्कों के अन्तर्गत राज्यांश प्राप्तियों में ₹ 53,671 करोड़ (50.31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में 10.21 प्रतिशत (₹ 5,897 करोड़) कम था।

(प्रस्तर 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.3.1 एवं 2.4.3.2)

राजस्व व्यय (₹ 3,37,581 करोड़) कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा। तथापि, इसका अंश वर्ष 2017-18 में 86.77 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22 में 82.09 प्रतिशत हो गया। वेतन, मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान पर प्रतिबद्ध व्यय (₹ 2,02,126 करोड़) जो राजस्व प्राप्तियों का 54.48 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 59.87 प्रतिशत था। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं का वर्ष 2021-22 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1,00,845.44 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जो वर्ष 2020-21 की तुलना में 1.98 प्रतिशत अधिक था। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदान भी हस्तांतरित किया। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग के अनुदान के हस्तांतरण में 16.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(प्रस्तर 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.7.6 एवं 2.7.7)

वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 71,443 करोड़) में 36.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल व्यय के सापेक्ष राज्य के पूंजीगत व्यय के प्रतिशत में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई और यह सामान्य श्रेणी के राज्यों (अर्थात् उत्तर पूर्वी और हिमालयीय राज्यों के अलावा अन्य राज्यों) के अखिल भारतीय औसत से अधिक था।

(प्रस्तर 2.7.8 एवं 2.7.9)

### समेकित निक्षेप निधि

राज्य सरकार ने अपनी बकाया देयताओं के विमोचन हेतु एक ऋण परिशोधन निधि के रूप में समेकित निक्षेप निधि का गठन (मार्च 2020) किया, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रभाव में आयी। निधि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित किया गया है। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को विगत वर्ष के अंत में अवशेष दायित्वों का कम से कम 0.50 प्रतिशत अंशदान निधि में जमा करना था। वर्ष 2020–21 के अंत में ₹ 5,46,864.94 करोड़ की अवशेष दायित्व के दृष्टिगत कम से कम निर्धारित योगदान ₹ 2,734.32 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार ने वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 2000 करोड़ का अंशदान दिया। यह ₹ 734.32 करोड़ का कम अंशदान वर्ष 2021–22 के दौरान समेकित निक्षेप निधि निवेश का भाग नहीं बन सका।

#### संस्तुति

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समेकित निक्षेप निधि में वार्षिक अंशदान विगत वर्ष के अन्त में बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत हो, जैसा कि समेकित निक्षेप निधि योजना में प्रावधानित है, जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रतर निवेश हेतु एवं भविष्य की अवशेष देयताओं के भुगतान हेतु निधि में पर्याप्त अवशेष उपलब्ध हो।

(प्रस्तर 2.8.2.1)

### मूल्यह्रास आरक्षित निधि

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मूल्यह्रास आरक्षित निधि का सृजन (मार्च 2005) संयंत्र और मशीनरी के नवीनीकरण और अनुपयोगी संयंत्र और मशीनरी के प्रतिस्थापन के लिये, संयंत्र और मशीनरी की विशेष मरम्मत करने और नवीनतम तकनीक के साथ संयंत्र और मशीनरी के क्रय करने के लिये किया था। राज्य सरकार ने 2021–22 की अवधि के दौरान मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अंशदान के रूप में ₹ 68.84 करोड़ प्रभारित किया और इसे राज्य के करेतर राजस्व के रूप में हस्तांतरित किया। जिसके सापेक्ष, केवल ₹ 20.00 करोड़ निधि में हस्तांतरित किये गये, जिससे राजस्व प्राप्तियों में वास्तविक नकद प्राप्ति के बिना ₹ 48.84 करोड़ की वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2021–22 के अंत में उपलब्ध शेष धनराशि से अधिक संवितरण के कारण निधि में ₹ 6.11 करोड़ ऋणात्मक अवशेष था।

#### संस्तुति

राज्य सरकार को मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए भारत पूरी धनराशि को इस निधि को हस्तांतरित करना चाहिए। अग्रतर, राज्य सरकार को मूल्यह्रास आरक्षित निधि के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष को तत्काल नियमित करना चाहिए।

(प्रस्तर 2.8.2.2)

### राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ)

31 मार्च 2022 तक एसडीआरएफ में ₹ 3,005.59 करोड़ शेष था। तथापि, राज्य सरकार ने निधि में अभिवृद्धि को एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित तरीके से निवेश नहीं किया था। राज्य सरकार ने निधि के अनिवेशित अवशेष पर वर्ष 2021–22 के लिये ₹ 74.99 करोड़ का ब्याज भी क्रेडिट नहीं किया था।

#### संस्तुति

राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एसडीआरएफ के अन्तर्गत अवशेष धनराशि का निवेश करना चाहिये और उपार्जित ब्याज को निधि में जमा करना चाहिये।

(प्रस्तर 2.8.2.3)

### आकस्मिक देयताएं—प्रत्याभूतियों की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा 28 संस्थाओं यथा सांविधिक निगम, सरकारी कम्पनियों एवं अन्य संस्थाओं को उनके द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान के सापेक्ष वर्ष 2021–22 के अंत में ₹ 1,74,218.42 करोड़ की प्रत्याभूति बकाया थी। प्रत्याभूति पर राज्य के दायित्वों के तात्कालिक भुगतान के लिये, राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यकता थी। तथापि, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया।

#### संस्तुति

राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करना चाहिये।

(प्रस्तर 2.8.2.4 एवं 2.9.5)

### ऋण संवहनीयता

राज्य की कुल राजकोषीय देनदारियों में खुले बाजार के ऋणों का प्रमुख अंश (65.48 प्रतिशत) था। वर्ष 2019–21 के दौरान ऋण संवहनीयता नकारात्मक था। तथापि, लोक ऋण पर औसत ब्याज दर की तुलना में जीएसडीपी की उच्च विकास दर के कारण यह वर्ष 2021–22 के दौरान सकारात्मक था।

(प्रस्तर 2.9.1 एवं 2.9.4)

### व्यय आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

वर्ष 2005–06 से 2020–21 से संबंधित 104 अनुदानों और 48 विनियोगों के अंतर्गत ₹ 32,533.46 करोड़ के अधिक संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक नियमित नहीं किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा किये गये विनियोग के अलावा संचित निधि से किसी भी धन का आहरण नहीं किया जायेगा। यह बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है एवं सार्वजनिक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

#### संस्तुति

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक व्यय के सभी मौजूदा मामले संविधान के अनुच्छेद 205 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमितीकरण के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे गए हैं।

(प्रस्तर 3.2.1)

### व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

वर्ष 2021–22 के दौरान कई प्रकरणों में राजस्व को पूंजीगत एवं पूंजीगत को राजस्व के रूप में व्यय का गलत वर्गीकरण पाया गया। व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का संयुक्त प्रभाव राजस्व अधिशेष में ₹ 130.49 करोड़ के आधिक्य के रूप में परिणित हुआ।

#### संस्तुति

कतिपय मानक मदों में शामिल पूंजीगत या राजस्व प्रकृति के कुछ व्यय मदों का वर्गीकरण, जैसा कि प्रस्तर 3.2.2 में इंगित किया गया है, को उत्तर प्रदेश बजट नियमावली (यूपीबीएम) के साथ संरेखित करने के लिये समीक्षा और निवारण की आवश्यकता है।

(प्रस्तर 3.2.2)

**बचतें**

कुल बचत ₹ 1,52,626.00 करोड़ थी जो कि कुल प्रावधान का 25.37 प्रतिशत था, जो मुख्य रूप से राजस्व मतदेय (22.27 प्रतिशत) और पूंजीगत मतदेय (41.89 प्रतिशत) खण्ड के तहत थी। विगत पांच वर्षों (2017-22) के दौरान बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन इन वृद्धियों के बीच व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं रही, जबकि पिछले कुछ वर्षों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई है। 24 अनुदानों से सम्बन्धित 28 मामलों में, पिछले पांच वर्षों के दौरान सतत बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) की प्रवृत्ति रही। यह राज्य सरकार की आयोजना एवं कार्यान्वयन में बड़े अन्तर का द्योतक है।

**संस्तुति**

वित्त विभाग को उन कारणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके कारण विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रहे और भविष्य के वर्षों में अधिक विवेकपूर्ण बजट प्रावधान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

(प्रस्तर 3.3.1, 3.3.2, एवं 3.3.4)

**अनावश्यक पुनर्विनियोग**

32 अनुदानों से संबंधित 70 उप-शीर्ष में, ₹ 818.32 करोड़ के पुनर्विनियोग के माध्यम से निधियों में वृद्धि की गयी। तथापि, पुनर्विनियोग अनावश्यक साबित हुए, जैसा कि प्रत्येक मामले में व्यय पुनर्विनियोग से पूर्व इन उप-शीर्षों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान से कम था। यह इन अनुदानों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के लिए पर्याप्त औचित्य के अभाव को दर्शाता है।

**संस्तुति**

पुनर्विनियोग, निधि की आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। वित्त विभाग सम्बन्धित विभागों को निधियों के इष्टतम उपयोग के क्रम में संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय योजनाओं/परियोजनाओं के लागत अनुमान की सटीकता में सुधार करने की सलाह दे सकता है।

(प्रस्तर 3.3.6)

**व्यय का अतिरेक**

वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय का अतिरेक सार्वजनिक निधियों के सुदृढ़ प्रबंधन के सिद्धांतों के विरुद्ध है। व्यय के अतिरेक को रोकने हेतु यूपीबीएम में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। दो अनुदानों में, उनके कुल बजटीय प्रावधानों का 50 प्रतिशत या उससे अधिक व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम महीने अर्थात् मार्च 2022 में किया गया।

**संस्तुति**

सरकार व्यय की स्थिर गति बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय के अतिरेक को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।

(प्रस्तर 3.3.7)

**बचतों का अभ्यर्पण**

यूपीबीएम में प्रावधान है कि नियंत्रण अधिकारियों को सभी अंतिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। तथापि, ₹ 1,52,626.00 करोड़ की कुल बचत में से 25 मार्च से पूर्व ₹ 117.09 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन

₹ 7,843.86 करोड़ अभ्यर्पित किए गये। शेष ₹ 1,44,665.05 करोड़ व्यपगत हो गये। इसके अलावा, ₹ 737.63 करोड़ की बचत के विरुद्ध चार अनुदानों से सम्बन्धित चार प्रकरणों में, ₹ 789.43 करोड़ का समर्पण किया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 51.80 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ।

### संस्तुति

वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अंतिम समय के अभ्यर्पण और आवंटन के व्यपगत होने का सहारा लिए बिना, निधियों को अनावश्यक रूप से रखा नहीं जाय और शीघ्रातिशीघ्र अभ्यर्पित कर दिया जाये।

(प्रस्तर 3.3.9)

### शासकीय प्राप्तियों को शासकीय लेखे से बाहर रखा जाना

श्रम उपकर के सापेक्ष संग्रहीत धनराशि शासकीय लेखे में लिये बिना सीधे उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण (यूपीबीओसीडब्ल्यू) बोर्ड के बैंक खातों में जमा की जा रही है। शासकीय लेखों के माध्यम से उपकर के लेखांकन के अभाव में, राज्य सरकार के लेखे से यह भी सुनिश्चित नहीं हो सका कि उपकर, शुल्क आदि के मद में कितनी धनराशि संग्रहीत की गयी एवं विभिन्न उपकर संग्राहकों द्वारा कितनी धनराशि बोर्ड को अन्तरित की गयी। बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2022, को बोर्ड के पास ₹ 3,977.53 करोड़ धनराशि उपलब्ध थी एवं 2017-22 की अवधि के दौरान 5.55 से 31.26 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित करते हुए श्रमिकों के कल्याण हेतु उपलब्ध निधियों का 4.45 से 26.63 प्रतिशत व्यय किया गया।

### संस्तुति

उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा श्रम उपकर के सापेक्ष संग्रहीत धनराशि राज्य के लोक लेखे का भाग होनी चाहिये एवं वहाँ से यह बोर्ड के खाते में अन्तरित की जा सकती है। उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशाओं में सुधार करने एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अपने अधिदेश को पूर्ण करना चाहिये।

(प्रस्तर 4.1.1)

राज्य सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अपेक्षित राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन नहीं किया। उत्तर प्रदेश विद्युत निियामक आयोग की ₹ 121.30 करोड़ की प्राप्तियाँ राज्य के लोक लेखे से बाहर रखी गयी।

### संस्तुति

राज्य सरकार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन करना चाहिए और निधि के अवशेष धनराशि को राज्य के लोक लेखे में जमा करना चाहिए।

(प्रस्तर 4.1.2)

### राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से गैर-बजट ऋण

राज्य सरकार ने राज्य के ऋण मापदंडों पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से गैर-बजट ऋण का सहारा लिया। चूंकि ये गैर-बजट ऋण राज्य के ऋण-स्टॉक के भाग नहीं हैं, वित्त लेखे में दर्शायी गयी ऋण-स्टॉक की स्थिति वास्तविक ऋण भार को नहीं दर्शाती है। परिणामस्वरूप, ऋण स्टॉक ₹ 19,495.61 करोड़ बढ़ गया तथा वर्ष 2021-22 के अंत में संज्ञान लिये गये ऋण स्टॉक ₹ 6,12,956.33 करोड़ के सापेक्ष यह ₹ 6,32,451.94 करोड़ हो गया।

**संस्तुति**

राज्य सरकार को गैर-बजट ऋण से बचना चाहिये एवं राज्य सरकार की ओर से पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा लिए गए किन्तु राज्य सरकार द्वारा सर्विस किये गये ऋणों को संचित निधि में जमा करना चाहिये।

(प्रस्तर 4.2)

**परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुन्मोचित देनदारियां**

राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए ₹ 440.62 करोड़ की धनराशि नामित निधि प्रबंधक को इसके अग्रेतर निवेश के लिए प्रेषित नहीं किया। परिणामस्वरूप, अप्रेषित निधि से कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई क्योंकि यह अभिदाताओं के निवेश के कोष का अंश नहीं बन सकी। अग्रेतर, राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अवशेष धनराशि की सूचना उपलब्ध नहीं करायी।

**संस्तुति**

राज्य सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की सम्पूर्ण धनराशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित करना चाहिये जिससे अहस्तांतरित धनराशि अभिदाताओं के निवेश के कोष का भाग बन सके और मूल्य वृद्धि प्राप्त कर सके।

(प्रस्तर 4.3)

**उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि**

राज्य सरकार ने यात्रियों या मृतक आश्रितों या अन्य अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटर कराधान अधिनियम, 1997 द्वारा प्राधिकृत उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) का गठन नहीं किया। परिणामस्वरूप, 2015-22 की अवधि के दौरान ₹ 759.85 करोड़ की धनराशि यूपीआरटीएआरएफ में जमा नहीं की गयी।

**संस्तुति**

सांविधिक आवश्यकता होने के कारण सरकार को 'उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' की स्थापना करनी चाहिए जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए निधि का उपयोग किया जा सके।

(प्रस्तर 4.4)

**उपभोग प्रमाण-पत्रों (यूसी) के प्रेषण में विलम्ब**

2001-02 से 2020-21 (सितम्बर 2020 तक) की अवधि के दौरान निर्गत सहायता अनुदानों हेतु 31 मार्च 2022 तक ₹ 18,362.56 करोड़ के कुल 40,823 यूसी बकाया थे। यूसी के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि संवितरित धनराशि का उपयोग उन उद्देश्यों हेतु किया गया जिसके लिए उन्हें विधान मंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूसी के बड़ी संख्या में लम्बित होने की स्थिति में निधियों के गबन, अपयोजन एवं दुर्विनियोजन के जोखिम से परिपूर्ण थी।

**संस्तुति**

सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्गत सहायता अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे एवं बकायेदार अनुदान प्राप्तकर्ता को नया अनुदान निर्गत करने से पूर्व सभी बकाये की समीक्षा की जा सकती है।

(प्रस्तर 4.6)



### संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिल

एसी बिलों का आहरण के अगले माह के अंत तक समायोजन करने के कोडल प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 31 मार्च 2022 तक ₹ 18.39 करोड़ के अग्रिम वाले 1,089 एसी बिल समायोजन हेतु लम्बित थे जिसमें वर्ष 2020-21 तक आहरित 1,041 एसी बिल सम्मिलित थे।

### संस्तुति

वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रण अधिकारी निर्धारित समय के अन्दर संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का समायोजन करें जैसा कि नियमों में वांछनीय है।

(प्रस्तर 4.7)

### लघु शीर्ष-800 तथा मानक मद-42 का अविवेकपूर्ण उपयोग

वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय पक्ष में 79 मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत ₹ 46,410.25 करोड़ एवं प्राप्ति पक्ष में 52 मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत ₹ 7,489.28 करोड़ की धनराशि सम्बंधित लघुशीर्ष के अंतर्गत 800-अन्य व्यय/प्राप्तियों में अभिलिखित की गयी। लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' की धनराशि सम्बंधित लघुशीर्ष के अंतर्गत बड़ी राशि का पुस्तांकन वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। अग्रेतर, वर्ष 2021-22 के दौरान मानक मद '42-अन्य व्यय' के अंतर्गत ₹ 21,529.26 करोड़ का व्यय किया गया जो कि राज्य की संचित निधि के कुल व्यय ₹ 4,39,963.23 करोड़ का 4.89 प्रतिशत था। मानक मद '42-अन्य व्यय' के अंतर्गत अत्यधिक धनराशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता है।

### संस्तुति

वित्त विभाग को, महालेखाकार (ले. एवं हक.) के परामर्श से, वर्तमान में लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाले सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। अग्रेतर, मानक मद के स्तर पर मानक मद 42-अन्य व्यय का अविवेकपूर्ण प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए।

(प्रस्तर 4.9 एवं 4.10)

### स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना

57 स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों के 379 वार्षिक लेखे (2021-22 तक बकाया) 30 जून 2022 तक सम्बंधित संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वार्षिक लेखे एवं उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में, इन स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों को संवितरित अनुदानों और ऋणों के समुचित उपभोग को सप्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

### संस्तुति

वित्त विभाग को निकाय/प्राधिकरणों/विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए उनके द्वारा वार्षिक लेखे के संकलन और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु नियमित समीक्षा को समाहित करती एक प्रणाली विकसित करने पर विचार करना चाहिए।

(प्रस्तर 4.14)



## दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरण

दुर्विनियोजन, हानि और चोरी से सम्बन्धित 135 प्रकरणों में ₹ 9.31 करोड़ की धनराशि लम्बित थी जिन पर 31 मार्च 2022 तक अंतिम कार्यवाही लम्बित थी।

### संस्तुति

सरकार को दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार करना चाहिये।

(प्रस्तर 4.16)

## राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2022 को, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 114 राज्य पीएसयू (93 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम), 42 अकार्यरत पीएसयू सम्मिलित थे। 42 अकार्यरत पीएसयू में से 13 पीएसयू परिसमापन के अधीन हैं जबकि अवशेष 29 अकार्यरत पीएसयू जून 1990 से सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान अपना संचालन बन्द कर चुकी हैं। इन 114 पीएसयू में राज्य सरकार का कुल निवेश ₹ 1,61,953.64 करोड़ में, ₹ 1,56,354.90 करोड़ की अंश पूंजी के रूप में और ₹ 5,598.74 करोड़ का दीर्घावधि ऋण था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने 42 अकार्यरत पीएसयू में ₹ 753.97 करोड़, (40 सरकारी कम्पनियों और दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों) अंश पूंजी के रूप में (₹ 370.53 करोड़) और दीर्घावधि ऋण (₹ 383.44 करोड़) निवेश किया था। इनमें से, महत्वपूर्ण निवेश उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 289.15 करोड़), उत्तर प्रदेश सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 193.05 करोड़) और उ.प्र. राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड (₹ 120.03 करोड़) में था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने दो अकार्यरत पीएसयू को ₹ 33.94 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की थी जो अपना संचालन पहले ही बन्द कर चुके थे।

### संस्तुति

राज्य सरकार 29 अकार्यरत पीएसयू की स्थिति की समीक्षा कर सकती है जो अपना संचालन बन्द कर चुके हैं और इन पीएसयू में सावधानीपूर्वक निवेश करें।

(प्रस्तर 5.1.3, 5.2, 5.2.1 एवं 5.2.2)

## उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखों से मिलान

31 मार्च 2022, को 74 पीएसयू के सम्बन्ध में पूंजी, ऋण और प्रत्याभूतियों के आंकड़ों में अंतर विद्यमान थे। आँकड़ों के मध्य ये अंतर विगत कई वर्षों से दिखाए जा रहे हैं, यद्यपि मिलान के मामले को विगत वर्ष एसएफएआर में प्रतिवेदित किया गया था।

### संस्तुति

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग एवं सम्बन्धित पीएसयू को पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के अनुसार अंश पूंजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूतियों के आँकड़ों में अंतर का समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिए।

(प्रस्तर 5.2.3)

### बकाया लेखे

72 कार्यरत पीएसयू में से, केवल 11 पीएसयू ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किये थे और शेष 61 पीएसयू के 308 लेखे बकाया थे। 42 अकार्यरत पीएसयू में

से 40 पीएसयू के 698 लेखे बकाया थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 38 पीएसयू को ₹ 8,610.52 करोड़ (अंश पूंजी: ₹ 3,467.07 करोड़, ऋण : ₹ 1,187.47 करोड़, सहायता अनुदान: ₹ 3,542.47 करोड़ और सब्सिडी : ₹ 413.51 करोड़) प्रदान किये थे, जिस अवधि के दौरान उनके लेखे बकाया थे।

### **संस्तुति**

प्रशासनिक विभागों को पीएसयू के बकाया लेखों को समाप्त करने हेतु सख्ती से अनुश्रवण एवं आवश्यक निर्देश निर्गत करने चाहिए और पीएसयू के लेखों को तैयार करने में बाधाओं के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

(प्रस्तर 5.3.2 एवं 5.3.2.4)